विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-14 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
14 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-आजमगढ़ तहसील-फूलपुर, ग्राम पंचायत- खण्डौरा सहित दर्जनों गांवों, पंचायतों में लेखपालों के पास जो भूमि का नक्शा उपलब्ध है वह पूरी तरह फट चुका है जिससे किसानों के खेतों आदि से सम्बन्धित भूमि की पैमाइश नहीं हो पा रही है?	जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 30-01-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम खण्डौरा सहित लगभग 20 ग्रामों के भू-मानचित्र (नक्शा) जीर्ण शीर्ण अर्थात फटे हुये हैं। इन ग्रामों के भू-चित्र (नक्शा) जिला अभिलेखागार में भी उपलब्ध नहीं हैं तथा राजस्व परिषद लखनऊ के मानचित्रालय में भी होना नहीं पाये गये हैं। भू-मानचित्र जिन गाटों का फटा या जीर्ण-शीर्ण है, उन्हीं गाटों की ही पैमाइश नहीं हो पाती है। शेष गाटों की पैमाइश हो जाती है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त गांवों में गांव पंचायतों से सम्बन्धित नया नक्शा कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?	तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत 20 ग्रामों के भू-मानचित्र (नक्शा) जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण भू-मानचित्रों की प्रतिलिपियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में श्री सुशील कुमार भारती नायब तहसीलदार फूलपुर के नेतृत्व में गठित टीम राजस्व परिषद लखनऊ के मानचित्रालय में उपस्थित होकर मानचित्रों की प्रतिलिपियों को ट्रेस करने हेतु गयी थी, परन्तु राजस्व परिषद मैप अनुभाग में नक्शे अनुपलब्धता के कारण ट्रेस नहीं हो पाये।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्तानुसार।
(घ) क्या राजस्व परिषद, इलाहाबाद व लखनऊ द्वारा भूमि विवादों को कम कराने के लिए नये नक्शों को उक्त गांवों में उपलब्ध करायेंगे?	जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के प्रश्नगत 20 ग्रामों के चकबन्दी प्रकृति के भू-मानचित्र चकबन्दी प्रकिया पूर्ण के पश्चात धारा-52 के प्रकाशन के उपरान्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर 509, 510 व 511 में विहित व्यवस्थानुसार तत्समय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ द्वारा राजस्व परिषद में नक्शों को संग्रहीत न कराये जाने के कारण परिषद मानचित्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

अतः परिषद के पत्र दिनांक 01.02.2024 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ सर्वप्रथम बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ के कार्यालय में प्रश्नगत 20 ग्रामों के चकबन्दी प्रकृति के भू-मानचित्रों की सघन खोजबीन कराना सुनिश्चित करेंगे। भू-मानचित्रों के प्राप्त न होने की स्थिति में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ के माध्यम से प्रश्नगत 20 ग्रामों के चकबन्दी प्रकृति के भू-मानचित्रों की उपलब्धता हेतु उत्तराखण्ड राज्य की रूड़की प्रेस (अभिलेखागार) एवं निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज से सम्पर्क कर सम्बन्धित भू-मानचित्र प्राप्त करेंगे। रूड़की एवं प्रयागराज प्रेस (अभिलेखागार) में नक्शों के उपलब्ध न होने की दशा में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 यथासंशोधित के अध्याय-6 (ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण) की सुसंगत धारा में विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही करायेंगे।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराकर राजस्व परिषद, लखनऊ द्वारा भूमि विवादों को कम कराने के लिये नये नक्शों को उक्त गांवों में उपलब्ध कराया जायेगा।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।